

E May

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश

गौतम नगर, भोपाल 462023

दूरभाष 91-0755-2583650 फेक्स 2583651 ई-मेल dpimp@sancharnet.in

क्रमांक/स्था.4/सी/अं.जि.स्थानां./03/2010/776

भोपाल, दिनांक 15.06.2010

// आदेश //

निम्नांकित कर्मचारी का स्वेच्छा के आधार पर अंतर जिला स्थानांतरण समान सामार्थ्य एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख अंकित कार्यालय में किया जाता है:-

क्रं.	नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना एवं जिला	स्थानांतरित जिले का नाम
1	2	3	4
1	श्री जय कुमार कोरी, भृत्य (UNIQUE CODE- AU1451)	कार्यालय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, साँची जिला रायसेन (DISE CODE-अप्राप्त)	दमोह

2/ उक्त जिला संवर्गीय स्थानांतरित कर्मचारियों की वर्तमान जिले की वरिष्ठता का लाभ नवीन जिले के लिए मान्य नहीं होगा । नवीन जिले में इनकी वरिष्ठता उनके संस्था में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निर्धारित होगी ।

3/ उक्त सभी स्थानांतरण स्वेच्छा से होने के कारण इन्हें किसी भी प्रकार के यात्रा भत्ते की पात्रता नहीं होगी ।


4/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं संस्था प्रधान द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि स्थानांतरित कर्मचारी शिक्षा विभाग के ही कर्मचारी हैं । पुष्टि होने पर ही उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जाये ।

5/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा यह भली-भांती परीक्षण कर लिया जाए कि संबंधित कर्मचारी वास्तव में उसके स्थान/पद पर पदस्थ हैं जहाँ से उन्हें स्थानांतरित किया जा रहा है। पूर्ण आश्वस्त व शासकीय सेवक की सेवा पुस्तिका से सत्यापन होने पर ही उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जावे । यदि संबंधित कर्मचारी के बारे में किसी प्रकार की कोई त्रुटिपूर्ण विसंगति अथवा विपरीत तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उसके विरुद्ध कोई विभागीय जाँच/आपराधिक प्रकरण लंबित हो तो कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण न कराते हुए वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से अवगत कराये ।

6/ जिला शिक्षा अधिकारी/संस्था प्रमुख स्थानांतरित कर्मचारी को नवीन जिले द्वारा पदस्थापना आदेश जारी करने के उपरांत ही कार्यमुक्त करेंगे । साथ ही संबंधित कर्मचारी का भी यह दायित्व होगा कि नवीन जिले के जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी पदस्थापना आदेश प्राप्त होने पर ही वह कार्यमुक्त होगा ।

निरंतर . . .


7/ स्थानांतरित कर्मचारी की पदस्थापना स्थानांतरित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा एक सप्ताह में की जाए । पदस्थापना आदेश जारी होने के उपरांत ही संबंधित कर्मचारी को कार्यमुक्त किया जाए। कार्यमुक्ती उपरांत कर्मचारी को नवीन स्थान में तत्काल उपस्थित होना होगा । कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उसे अवकाश की पात्रता नहीं होगी ।

  
आयुक्त  
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

पृष्ठां.क्र./स्था.4/सी/अं.जि.स्थानां./03/2010/१११  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 15.06.2010

1. निज सहायक, मान. स्कूल शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल ।
2. निज सहायक, मा. राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा मध्यप्रदेश शासन, भोपाल ।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, (मंत्रालय) वल्लभ-भवन, भोपाल ।
4. संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, भोपाल/सागर, संभाग मध्यप्रदेश ।
5. संयुक्त संचालक (समन्वय) स्थानीय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
6. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला-रायसेन/दमोह म.प्र. ।
7. कार्यालय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, साँची जिला रायसेन ।
8. ओ.एस.डी. स्थापना-4 (स्थानीय)  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
9. संबंधित श्री जय कुमार कोरी, भृत्य कार्यालय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, साँची जिला रायसेन की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।

  
आयुक्त  
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

## लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश

गौतम नगर, भोपाल 462023

दूरभाष 91-0755-2583650 फेक्स 2583651 ई-मेल dpimp@sancharnet.in

क्रमांक/स्था.4/सी/अं.जि.स्थानां./22/2010/774 . भोपाल, दिनांक 15.06.2010

// आदेश //

निम्नांकित कर्मचारी का स्वेच्छा के आधार पर अंतर जिला स्थानांतरण समान सामर्थ्य एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख अंकित जिले में किया जाता है:-

क्रं.	नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना एवं जिला	स्थानांतरित कार्यालय का नाम
1	2	3	4
1	श्रीमती मिश्री बाई चौधरी, लेखापाल (UNIQUE CODE- AI7365)	शासकीय हाईस्कूल संदला जिला धार (DISE CODE- 23250166602)	कार्यालय प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बड़वानी (DISE CODE- 232803IDS01)

2/ उक्त जिला संवर्गीय स्थानांतरित कर्मचारियों की वर्तमान जिले की वरिष्ठता का लाभ नवीन जिले के लिए मान्य नहीं होगा । नवीन जिले में इनकी वरिष्ठता उनके संस्था में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निर्धारित होगी ।

3/ उक्त सभी स्थानांतरण स्वेच्छा से होने के कारण इन्हें किसी भी प्रकार के यात्रा भत्ते की पात्रता नहीं होगी ।


4/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं संस्था प्रधान द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि स्थानांतरित कर्मचारी शिक्षा विभाग के ही कर्मचारी हैं । पुष्टि होने पर ही उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जाये ।

5/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा यह भली-भांती परीक्षण कर लिया जाए कि संबंधित कर्मचारी वास्तव में उसके स्थान/पद पर पदस्थ हैं जहाँ से उन्हें स्थानांतरित किया जा रहा है। पूर्ण आश्वस्त व शासकीय सेवक की सेवा पुस्तिका से सत्यापन होने पर ही उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जावे । यदि संबंधित कर्मचारी के बारे में किसी प्रकार की कोई त्रुटिपूर्ण विसंगति अथवा विपरीत तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उसके विरुद्ध कोई विभागीय जाँच/आपराधिक प्रकरण लंबित हो तो कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण न कराते हुए वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से अवगत कराये ।

6/ जिला शिक्षा अधिकारी/संस्था प्रमुख स्थानांतरित कर्मचारी को नवीन जिले द्वारा पदस्थापना आदेश जारी करने के उपरांत ही कार्यमुक्त करेंगे । साथ ही संबंधित कर्मचारी का भी यह दायित्व होगा कि नवीन जिले के संबंधित अधिकारी द्वारा जारी पदस्थापना आदेश प्राप्त होने पर ही वह कार्यमुक्त होगा ।

निरंतर . . .


7/ स्थानांतरित कर्मचारी की पदस्थापना स्थानांतरित जिले के संबंधित अधिकारी द्वारा एक सप्ताह में की जाए । पदस्थापना आदेश जारी होने के उपरांत ही संबंधित कर्मचारी को कार्यमुक्त किया जाए। कार्यमुक्ती उपरांत कर्मचारी को नवीन स्थान में तत्काल उपस्थित होना होगा । कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उसे अवकाश की पात्रता नहीं होगी ।

  
आयुक्त  
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

पृष्ठा.क्र./स्था.4/सी/अं.जि.स्थानां./22/2010/ 775  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 15.06.2010

1. निज सहायक, मान. स्कूल शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल ।
2. निज सहायक, मा. राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा मध्यप्रदेश शासन, भोपाल ।
3. निज सहायक, मा. राज्य मंत्रीजी, स्वतंत्र प्रभार, महिला एवं बाल विकास विभाग, म.प्र. शासन, भोपाल ।
4. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, (मंत्रालय) वल्लभ-भवन, भोपाल ।
5. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, बी विंग, अरेरा हिल्स, पुस्तक भवन, भोपाल ।
6. संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, धार संभाग मध्यप्रदेश ।
7. संयुक्त संचालक (समन्वय) स्थानीय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
8. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला-धार/बड़वानी, म.प्र. ।
9. कार्यालय प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बड़वानी ।
10. प्रचार्य, शासकीय हाईस्कूल संदला, जिला धार ।
11. आ.एस.डी. स्थापना-4 (स्थानीय) ।  
को ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
12. संबंधित श्रीमती मिश्रीबाई चौधरी, लेखापाल शा. हाईस्कूल संदला जिला धार म.प्र. ।  
की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।

  
आयुक्त  
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश